

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन


सार्वजनिक सूचना सं.०२/2015-20
नई दिल्ली, दिनांक:- 5 अप्रैल, 2019

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2-ट में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2ट (आवेदन शुल्क स्केल और आवेदन शुल्क/जुर्माने इत्यादि जमा करने/रिफंड हेतु प्रक्रिया) में विभिन्न सेवाओं हेतु आवेदन शुल्क स्केल के तहत निम्नलिखित क्रम सं. 14 को शामिल करते हैं:-

| क्रम सं. | विवरण | शुल्क स्केल (रु० में) |
|----------|--|-----------------------|
| 14 | परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) के अंतर्गत लाभ की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन | एक हजार |

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) के अंतर्गत लाभ की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन शुल्क स्केल को अधिसूचित किया जाता है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/89/180/27/एम-12/पीसी-2(क)/पी-15406 से जारी)